

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या- 05/न0वि0/जला0/पेयजल निया0 प्राधिकार/04/2016¹⁶⁶⁴ राँची, दि-10/03/17

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2017) की धारा-3 में निहित प्रावधान के आलोक में झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार का गठन किया जाता है।


2. झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत शहरी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भूगर्भीय जल संसाधन के स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण, जल स्रोतों का उन्नयन तथा विनियमन, पेयजल आपूर्ति से संबंधित जल प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं इसके प्रभावी तथा समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाना है।

3. झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार का स्वरूप निम्न प्रकार होगा -

- 3.1 अध्यक्ष - 01,
- 3.2 सदस्य - 01 (प्रशासनिक)
- 3.3 सदस्य - 01 (तकनीकी)।


4. प्राधिकार की अन्य शर्तें, झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 में वर्णित धाराओं से शासित होंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 05/न0वि0/जला0/पेयजल निया0 प्राधिकार/04/2016¹⁶⁶⁴ राँची, दि-10/03/17
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 05/न0वि0/जला0/पेयजल निया0 प्राधिकार/04/2016¹⁶⁶⁴ राँची, दि-10/03/17
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।